न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर।

पीठासीन अधिकारी: ज्योति सिंह मीना, आर.जे.एस.

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या:- 276/2015

सी.आई.एस. नंबरः- 276/2015

राजस्थान राज्य

..... अभियोगी

बनाम

1. मैसर्स व्यवस्थापक, क्रय-विक्रय सहकारी समिति, राजाखेडा हाल बाडी ग्राम व पोस्ट मछरिया जिला धौलपुर घर का पता हेमेन्द्र त्यागी पुत्र महेन्द्र सिंह त्यागी, उम्र 30 वर्ष सर्किट हाउस के सामने वाली गली में गुलाब बाग, धौलपुर।

2. मैसर्स इण्टरनेशनल बायोटेक 215 इन्द्रा नगर, रतलाम मध्य प्रदेश एवं 216/2 गांधी नगर रतलाम मध्य प्रदेश मालिक डा. राधारमन पुत्र श्याम लाल 215 इन्द्रा नगर, रतलाम मध्य प्रदेश एवं 216/2 गांधी नगर, रतलाम मध्य प्रदेश।

(मफरूर दिनांक 25.02.2026)

.....अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1985

उपस्थित:-

1. अभियोजन अधिकारी राज्य की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री कुसुमाकर गर्ग अभियुक्त की ओर से।

-०:: निर्णय:०:- **दिनांक 17.03.2026**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि कि परिवादी नाथूराम ढांडी उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) धौलपुर ने अभियुक्तगण हेमेन्द्र त्यागी व डा. राधारमन के विरूद्ध परिवाद प्रदर्श पी.15 न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि राजस्थान राज पत्र विशेषांक 4(ग) उपखण्ड-/दिनांक 25 अगस्त 2005 एस.ओ.-118 एवं संशोधित आदेश अधिसूचना जयपुर 21 अक्टूबर 2010 संख्या

पं.12(8)कृषि/1 इनपुट/99/दिनांक 19.11.2004, 03.08.2005, 22.09.2006 एवं 23.10.2009 से नियुक्त किये गये उर्वरक निरीक्षक की शक्तियाँ सहायक निदेश कृषि (विस्तार) धौलपुर में प्रदान की गई है। दिनांक 12.11.2014 को उर्वरक नमूने लेने एवं निरीक्षण करने के अभिप्राय से मैसर्स क्रय विक्रय सहकारी समिति राजाखेडा मुख्यालय पहाडी को फार्म नंबर 8 में नोटिस दिया गया एवं नमूने आहरण करने किये गये जिसमें एन.डी.आर.एफ.-32 जिंक सल्फेट उर्वरक नमूना भाग 3 में लेकर नियमित कार्यवाही कर एक भाग श्री हेमेन्द्र त्यागी पुत्र श्री महेन्द्र त्यागी, पता गुलाब बाग कलेक्ट्रेट के सामने धौलपुर, कर्मचारी मौके पर कार्यरत था, को दिया गया दो भाग नमूना साथ लेकर एक नमूने को राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया तथा दूसरा नमूना श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि (तिलहन) भरतपुर खण्ड भरतपुर को भिजवाया गया। राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर के पत्रांक 1038-40 दिनांक 01.12.2014 के द्वारा आहरित नमूना एन.डी.आर.एफ.-32 जिंक सल्फेट 21 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत पाया गया। नमूने को प्रयोगशाला द्वारा अमानक घोषित किया गया। इस कार्यालय के पत्रांक 3594-98 दिनांक 10.12.2014 को नमूना अमानत होने की स्थिति में उक्त मैसर्स को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया जिसमें आज दिनांक तक किसी भी मैसर्स ने कोई जबाब नहीं दिया। नियमानुसार मैसर्स ने माननीय आयुक्त कृषि राजस्थान जयपुर को प्रयोगशाला के विशलेषण से सहमत न होने के कारण पुनः परीक्षण हेतु भिजवाया, के अनुसार कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प.6(32) आ.कृ.(गु.नि.)/2014-15/ 7542-44 दिनांक 12.02.2015 के निर्देशन में पुनः परीक्षण हेतु नमूना भिजवाया गया। कार्यालय सहायक निदेशक कृषि एफ.सी.ओ. प्रयोगशाला अनन्तपुर हैदराबाद के आन्ध्र प्रदेश के आदेश क्रमांक 166/2015 दिनांक 22.09.2015 के द्वारा एन.डी.आर.एफ.-32 जिंक सल्फेट नमूने पुनः अमानक घोषित किया गया जो कृषि आयुक्तालय राजस्थान जोधपुर के आदेश क्रमांक प.6(32) आ.कृ.(गु.नि.)/2015-16/ 11343-47 दिनांक 05.10.2015 के द्वारा अमानक सूचना कार्यालय को दी गई। खुदरा विक्रेता व्यवस्थापक क्रय विक्रय सहकारी समिति राजाखेडा मुख्यालय पहाडी एवं मैसर्स इण्टरनेशनल बायोटेक, 215 इन्द्रा नगर रतलाम मध्य प्रदेश एवं 216/2 गांधीनगर रतलाम मध्य प्रदेश ने उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के क्लॉज 19 के तहत अपराध किया है जों आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 की श्रेणी में आता है। अतः अभियुक्तगण को दण्डित किये जाने की कृपा की जावे। उक्त परिवाद पर बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. प्री चार्ज बहस सुनी जाकर अभियुक्त हैमेन्द्र त्यागी को आवश्यक वस्तु

अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया और अन्वीक्षा चाही।

3. प्री चार्ज साक्ष्य में गवाह पी.डब्लू.1 गोपाल कृष्ण शर्मा, पी.डब्ल्यू.2 नाथूराम ढांडी व पी.डब्लू.3 देवेन्द्र त्यागी के बयान लेखबद्ध किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में फॉर्म नंबर के प्रदर्श पी.1, फॉर्म नंबर पी प्रदर्श पी.2, फार्म नंबर जे प्रदर्श पी.3, मौका पर्चा प्रदर्श पी.4, संयुक्त निदेश कृषि (तिलहन) को जारी पत्र प्रदर्श पी.5, राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला को जारी पत्र प्रदर्श पी.6, संयुक्त निदेश कृषि (तिलहन) को जारी पत्र प्रदर्श पी.7, एम्बलम फार्म एल प्रदर्श पी.8, कारण बताओ नोटिस प्रदर्श पी.9, संयुक्त निदेश कृषि (तिलहन) को जारी पत्र प्रदर्श पी.10 व पी.11, फार्म एल प्रदर्श पी.12, एम्बलम फार्म के प्रदर्श पी.13, कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर का पत्र प्रदर्श पी.14, परिवाद प्रदर्श पी.15 को प्रदर्शित कराया गया।

4. अभियुक्त हैमेन्द्र त्यागी का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत परीक्षण किया गया तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुये स्वंय को निर्दोष होना बताया और साक्ष्य सफाई पेश करने से इंकार किया।

5. बहस अंतिम सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियोजन अधिकारी का दौराने बहस तर्क रहा कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोप प्रमाणित हैं। अतः उसे दोषसिद्ध किया जाकर कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे। इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्त ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में नमूना चतुर्थासन पद्धति से नहीं लिया गया है। नमूना लेते समय परखी का भी प्रयोग नहीं किया गया है। 1 से 100 बैग होने पर नमूना दो बैगों मे से लेने का प्रावधान है जबकि नमूना दो अलग-अलग बैगों में से लिया गया। नमूना सादा प्लास्टिक की थैली में लिया गया है जबकि नमूना लेने के छाप चूडी वाली थैली का प्रयोग किया जाना विधित है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त को उस पर आरोपित अपराध में दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

6. न्यायालय के समक्ष अवधार्य बिन्दु निम्न है:-

> ''दिनांक 12.11.2014 को किसी समय परिवादी नाथूराम ढांडी उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि विस्तार धौलपुर द्वारा आपकी फर्म मैसर्स क्रय विक्रय सहकारी समिति राजाखेडा मुख्यालय पहाडी से नमूना एनआरडीएफ-32 जिंक सल्फेट का परीक्षण हेतु लिया जाकर उसे राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया जहाँ उक्त नमूने को अमानक पाया गया जिसकी पुनः जांच हेतु कार्यालय सहायक निदेशक कृषि एफसीआई

प्रयोगशाला अनंतपुर हैदराबाद आन्ध्र प्रदेश द्वारा उक्त नमूने को पुनः अमानक पाया गया। इस तरह आपके द्वारा अमानक एनआरडीएफ-32 जिंक सल्फेट का विक्रय करते हुये पाया गया। आपका उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अधीन दण्डनीय अपराध है जो मेरे प्रसंज्ञान में है ?

यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड का पात्र हैं?

7. अवधार्य बिन्दु के सन्दर्भ में साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो गवाह पी.डब्लू.1 गोपाल कृष्ण शर्मा ने अपने सशपथ बयानों में यह बताया कि दिनांक 12.11.2014 को मैं कृषि अधिकारी फसल के पद पर कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार धौलपुर में पदस्थापित था। उस दिन सहायक निदेशक नाथूराम ढांडी के साथ मैं राजाखेडा क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड के यहाँ उर्वरक निरीक्षण के लिये साथ गया था जहाँ पर नाथूराम ढांडी ने मेरे सामने दुकान पर मौजूद हेमेन्द्र त्यागी से नमूना सैंपल लिया था व फर्दात मेरे सामने तैयार किये थे। मौका पर्चा प्रदर्श पी.4 पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है।

8. गवाह पी.डब्लू.2 नाथूराम ढांडी ने अपने सशपथ बयानों में यह बताया कि मैं दिनांक 12.11.2014 को सहायक निदेशक कृषि धौलपुर के पद पर कार्यरत था। उस दिन दिनांक 12.11.2014 को क्रय विक्रय सहकारी समिति राजाखेडा की पहाडी पर हेमेन्द्र त्यागी मौके पर मौजूद मिला जिसके सामने उर्वरक का नमूना तीन भागों में लिया गया व उसे मौके पर ही सील मोहर किया गया। एक नमूना मौके पर मौजूद हेमेन्द्र त्यागी को दिया गया व शेष दो नमूनों में से एक नमूना राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया व तीसरे नमूने को श्रीमान् संयुक्त निदेशक कृषि भरतपुर को भिजवाया गया। उक्त नमूने की परीक्षण प्रयोगशाला प्राप्त रिपोर्ट मय नमूने को अमानक घोषित किया गया। नियमानुसार मैसर्स नमूना के परीक्षण रिपोर्ट से सहमत न होने के कारण नमूने के पुनः परीक्षण हेतु फरियाद की। मैसर्स के आधार पर नमूने को पुनः परीक्षण हेतु अनन्तपुर केन्द्रीय परीक्षण प्रयोगशाला हैदराबाद में भिजवाया गया। वहाँ से नमूना अमानक होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। मेरे द्वारा मैसर्स व्यवस्थापक क्रय विक्रय सहकारी समिति हेमेन्द्र त्यागी इंटरनेशनल बायोटेक 215 के मालिक डा. राधारमन के विरूद्ध मेरे द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का इस्तगासा प्रस्तुत न्यायालय किया गया। फार्म नंबर के प्रदर्श पी.1, फार्म नंबर पी प्रदर्श पी.2, फार्म नंबर जे प्रदर्श पी.3 तीनों पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। मौका पर्चा प्रदर्श पी.4 पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है जिस पर सी से डी गोपालकृष्ण व ई से एफ देवेन्द्र गवाहान के हस्ताक्षर

हैं। नमूना प्रेषिति रसीद प्रदर्श पी.5 व पी.6 हैं. जिन दोनों पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। जब्तशुदा नमूना पुनः परीक्षण हेतु भिजवाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी.7 पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। विशेषज्ञ द्वारा प्राप्त जोधपुर की परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी.8 है व मेरे द्वारा राजाखेडा क्रय विक्रय सहकारी समिति को जबाब बताओं नोटिस प्रदर्श पी.9 दिया गया जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है और एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। नमूना रेफरी विश्लेषण हेतु भिजवाये जाने का प्राथ्रना पत्र प्रदर्श पी.10 व पी.11 हैं जिन दोनों पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। आंध्र प्रदेश अनन्तपुर की परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी.12 है जिसके साथ संलग्न फार्म नंबर के की प्रति प्रदर्श पी.13 है। कृषि निदेशालय राजस्थान जयपुर के द्वारा रतलाम का पूरा पता मंगवाया गया जो प्रदर्श पी.14 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मुलजिम राधारमण द्वारा प्रस्तुत एफीडेविट शामिल पत्रावली है व उसके लाईसेंस की छाया प्रति शामिल पत्रावली है। मेरे पद पर नियुक्ति बाबत प्रमाण पत्र की छाया प्रति शामिल पत्रावली है। मुझे राज्य सरकार द्वारा जो शक्तियॉं प्रदान की गई है व मेरा नियुक्ति आदेश की छाया प्रतियॉं शामिल पत्रावली है। मेरे द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा प्रदर्श पी.15 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

9. गवाह पी.डब्लू.3 देवेन्द्र त्यागी ने अपने सशपथ बयानों में यह बताया कि फर्द मौकाप्रदर्श पी.4 पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर नहीं है। यह गवाह अभियोजन से पूर्णतः पक्षद्रोही हुआ है ओर जिरह अभियोजन में गवाह ने जाहिर किया मौका पर्चा पर जी से एच भाग में मेरा नाम पता है परंतु मैंने कभी ऐसी किसी फर्द पर कोई हस्ताक्षर नहीं किये।

10. बहस अंतिम सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे यह स्थिति न्यायालय के समक्ष स्पष्ट होती है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के आरोप विरचित कर सुनाये गये हैं। अतः उक्त धारा में निहित तत्वों को ध्यान में रखते हुये ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन और विवेचन किया जाना उचित प्रतीत होता है। अभियोजन की ओर से उक्त आरोपों को साबित करने के लिये गवाह पी.डब्लू.1 लगायत पी.डब्लू.3 क्रमशः गोपाल कृष्ण शर्मा, नाथूराम ढांडी व देवेन्द्र त्यागी को पेश कर परीक्षित कराया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी.1 लगायत प्रदर्श पी.15 को पेश कर प्रदर्शित कराया गया हैं अभियोजन की ओर से उक्त आरोपों को साबित करने के लिये गवाह नाथूराम ढांडी जो कि प्रकरण का परिवादी है को पी.डब्लू.2 के रूप में परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में घटना की दिनांक, समय और स्थान की पूर्ण रूप से पुष्टि करते हुये अभियोजन कहानी का समर्थन किया है और सम्बन्धित फर्दो पर अपने हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है किंतु जिरह में गवाह जाहिर करता है कि जिंक सल्फेट के

कितने पैकेट नमूना लेते समय उपलब्ध थे गवाह नहीं बता सकता। गवाह को ध्यान नहीं है कि जिंक सल्फेट के कितने किलो के पैकेट थे। गवाह स्वीकार करता है कि नमूना परखी से लिये जाने और चतुर्थासन पद्धति अपनाये जाने का उल्लेख प्रदर्श पी.4 व प्रदर्श पी.15 में नहीं है। गवाह को ध्यान नहीं है कि नमूना लेते समय चतुर्थासन पद्धति अपनाई गई थी अथवा नहीं। परिवादी नाथूराम ढांडी स्वीकार करता है कि उसने नमूना प्लास्टिक की थैली में लिया था जो छाप चूडी वाली थैली नहीं थी। गवाह पी.डब्लू.1 गोपाल कृष्ण शर्मा तत्कालीन कृषि अधिकारी जो वक्त घटना उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) धौलपुर के साथ मौके पर मौजूद था और कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहा था, अपनी मुख्य परीक्षा में उसके सामने दुकान पर मौजूद हेमेन्द्र त्यागी की उपस्थिति में नमूना सैंपल लिये जाने और मौका पर्चा प्रदर्श पी.4 तैयार किये जाने का कथन किया है किंतु जिरह में गवाह जाहिर करता है कि उस गोदाम में जिंक सल्फेट का एक ही बैग था। गवाह को 5 किलो व 20 किलों के पैकेट के निर्माता कम्पनी का नाम ध्यान नहीं है। गवाह स्वीकार करता है कि नमूना लेते समय चतुर्थासान पद्धति नहीं अपनाई गई और न ही इसका अंकन प्रदर्श पी.4 व प्रदर्श पी.15 में है। नमूने का एक ही बैग उपलब्ध था जबकि फर्टिलाईजर इनआर्गेनिक, आर्गेनिक और मिक्सड कन्ट्रोल आर्डर 1985 के अनुसार यदि बैगो की संख्या 11 से 100 के मध्य है तब दो बैगों में से नमूना लिया जायेगा किंतु हस्तगत प्रकरण में केवल दो अलग-अलग कम्पनी के बैग उपलब्ध थे। गवाहान नमूना परखी से लिया जाना जाहिर करतें है किंतु साथ ही यह भी कहते है कि परखी से नमूना लिया जाना प्रदर्श पी.4 में अंकित नहीं है। गवाह नमूना प्लास्टिक की थैली में लिया जाना और थैली छाप चूडी वाली नहीं होना जाहिर करता है जबकि नमूना छाप चूडी वाली थैली में लिया जाना विधित है। गवाह पी.डब्लू.3 देवेन्द्र त्यागी अभियोजन कहानी से पूर्णतः पक्षद्रोही हुआ है और अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है।

11. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का भी अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि कि उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 की अनुसूची 2 के खण्ड 28 (1) (ख) और 29 के अनुसार यदि 100 बैग है तो नमूना लेने के लिए कम से कम 2 बैगो को प्रयोग में लिया जाना चाहिए जिसकी अनुपालन हस्तगत प्रकरण में नहीं किया गया है क्योंकि हस्तगत प्रकरण में मात्र दो बैग ही मौके पर मौजूद थे। उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 की अनुसूची 2 के खण्ड 28 (1) (ख) और 29 के अनुसरण में नमूना सैंपल सलाई या परखी से लिया जाना विधित है जबकि हस्तगत प्रकरण में नमूना सैंपल परखी से लिये जाने का मौका पर्चा प्रदर्श पी.4 व परिवाद प्रदर्श पी.15 में उल्लेख नहीं किया गया है। नमूना लेते समय चतुर्थासन पद्धति को अपनाया

गया हो इसका अंकन भी प्रदर्श पी.4 व प्रदर्श पी.15 में नहीं है। इसके साथ ही हस्तगत प्रकरण में नमूना जिस थैली में लिया गया है वह छाप चूडी वाली थैली न होकर प्लास्टिक की थैली में लिया गया है जिससे नमूना के मानको में अन्तर आने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त हेमेन्द्र त्यागी को उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1985 में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-○:: आदेश::○:-

12. परिणामतः अभियुक्त मैसर्स व्यवस्थापक, क्रय-विक्रय सहकारी समिति, राजाखेडा हाल बाडी ग्राम व पोस्ट मछरिया जिला धौलपुर घर का पता हेमेन्द्र त्यागी पुत्र महेन्द्र सिंह त्यागी, उम्र 30 वर्ष सर्किट हाउस के सामने वाली गली में गुलाब बाग, धौलपुर को उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1985 के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता हैं। प्रकरण में एक अन्य अभियुक्त (2) मैसर्स इण्टरनेशनल बायोटेक 215 इन्द्रा नगर, रतलाम मध्य प्रदेश एवं 216/2 गांधी नगर रतलाम मध्य प्रदेश, मालिक डा. राधारमन पुत्र श्याम लाल 215 इन्द्रा नगर, रतलाम मध्य प्रदेश एवं 216/2 गांधी नगर, रतलाम मध्य प्रदेश दिनांक 25.02.2026 से मफरूर चल रहा है। अतः पत्रावली के मुख पृष्ठ पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि प्रकरण में अभियुक्त मफरूर चल रहा है। पत्रावली का कोई भाग नष्ट नहीं किया जावे। अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति बाबत पूर्व में लिये गये जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(ज्योति सिंह मीना)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धौलपुर।

13. आदेश आज दिनांक 17.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्योति सिंह मीना)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धौलपुर।

"Authenticate Document"
Digitally signed by ABHINAV SHRIVASTAVA
Date: 2026.03.17 16:25:06 +0530